न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-361RAAJodhpur2022-138RTA223 Bhanwarlal ors Vs Dhannaram etc

01. भंवरलाल पुत्र बीजाराम
02. किशनाराम पुत्र बीजाराम
03. गवरी पत्नी बीजाराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. धन्नाराम पुत्र बींजाराम
2. उमाराम पुत्र बींजाराम

दोनो जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम मथानिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 धन्नाराम बनाम भंवरलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अर्जुनसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 28 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 धन्नाराम बनाम भवंरलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 24 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 111 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न. 116/116 रकबा 10 बीघा, खसरा नं. 116/34 रकबा 5 बीघा ग्राम भेसेर कुतड़ी तहसील तिंवरी के संबंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2019 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी तहसीलदार तिंवरी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 04 दिसंबर 2019 को आलौच्य निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। चूंकि प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री में एक ही पक्षकार होने के कारण तथा एक ही वाद से संबंधित होने के कारण अलग-अलग अपील प्रस्तुत नहीं कर एक साथ अपील प्रस्तुत की जा रही है जो अपील साथ प्रस्तुत करने की अनुमति अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये गये थे जो नोटिस एक ही व्यक्ति उमाराम द्वारा प्राप्त करना बताया गया है, जबकि उमाराम अपीलार्थीगण के साथ निवास

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नही करता है और उससे परिवार के सदस्यों में मतभेद होने के कारण उसके द्वारा कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण की तामील की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं करवाई गई है। इस कारण भी आलौच्य निर्णय एवं डिक्री बिना तामील पूर्ण करवाये पारित किये जाने से अपास्त योग्य है। अपीलार्थी संख्या तीन द्वारा प्रत्यर्थी संख्या एक के पक्ष में किये गये बख्शीश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे रखी है तथा उमाराम के पक्ष में किये गये बख्शीश को भी चुनौती दे रखी है, जिस कारण उनके द्वारा मिलावट करते हुए नोटिस प्राप्त कर गलत रूप से तामील की कार्यवाही करवाई गई है जो तामील विधि अनुसार पूर्ण नहीं है। उपरोक्त विधिक सिद्धांत के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। इस कारण भी बंटवाड़ा प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा प्रस्ताव विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के नोटिस विधि अनुसार तामील नहीं करवाये गये है। नोटिस की फर्द किसके द्वारा प्राप्त की गई है, यह अंकित नहीं किया गया है। इसलिए नोटिस को सम्यक रूप से तामील नहीं माना जा सकता है, जिस कारण अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका एवं वे अपना पक्ष नहीं रख सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विशेष खसरे में ही प्रत्यर्थी संख्या एक को संपूर्ण भूमि दे दी गई है, जिससे भी बंटवाड़ा नियमों की पालना नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता के कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयण में उपरोक्त वाद में अपीलार्थीगण पर सम्यक तामील नहीं करवायी गई। वर्तमान में दिनांक 17.08.2022 को जब मौका पेमाईश हेतु पटवारी हल्का मौके पर आये तथा रिकॉर्ड दिखाकर कहा कि मौके से कब्जा खाली कर दो भूमि अब प्रत्यर्थी संख्या एक की है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.08.2022 को औसियां आकर नकल हेतु आवेदन करवाया जो नकल तैयार होकर दिनांक 22.08.2022 को प्राप्त हुई, जसे पढने पर प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलार्थीगण ने जानबूझ कर या उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 धन्नाराम बनाम भवंरलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 सितंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 2019 को खारिज फरमाया जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधि अनुसार निस्तारित किये जाने का निर्देश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी पर सम्यक रूप से तामील करवायी गई, जिसके बावजूद भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हक-हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्ताव तलब किया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का मिथ्या कारण बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तामीली हेतु भेजे गये सम्मनों की पावति रिपोर्ट के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स को भेजे गये सम्मन स्वयं अपीलांट्स पर तामील नहीं करवाये जाकर उमाराम जो अपीलांट्स का भाई/बेटा है, पर तामील करवाये गये है। उमाराम हस्तगत अपील में बतौर रेस्पोडेंट संख्या दो के रूप में पक्षकार है। जिससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 सितंबर 2019 जारी कर तहसीलदार बाई मिट्स एवं बाउंण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08 नवंबर 2019 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार तिंवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा स्वयं मौके पर नहीं जाकर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम {राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की पालना किये बिना भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डियाई कलां एवं पटवारी हल्का भेसेर चावडियाली द्वारा तैयार किया जाना पाया जाता है, जिसे नियमानुसार नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 सितंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 2019 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने तथा विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 50/2019 धन्नाराम बनाम भवंरलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 11 सितंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 04 दिसंबर 2019 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करे तथा विभाजन प्रस्ताव तैयारी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम {राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को निर्देशित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर